नाम - डा. प्रदीप कुमार राय, एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीतिशास्त्र विभाग
विषय - राजनीति-शास्त्र, रोहतास महिला कॉलेज, सासाराम।
कक्षा - बी.ए. (प्रतिष्ठा) भाग-02
पेपर - 04
दिनांक — 14.07.2020

टॉपिक — महासभा की भूमिका - विश्व सरकार की व्यवस्थापिका

के रूप में गठित महासभा अपने कार्य एवं अधिकार की दृष्टि से व्यापक दायित्व का निर्वहन करती है। जिसके परिणाम स्वरूप यह विश्व में संवाद एवं चर्चा की दृष्टि से केन्द्रीय स्थान रखती है। इस कारण इसे विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, समय के साथ-साथ महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती गई है। विश्व में घटित कोई घटनाक्रम या समस्या जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं व्यवस्था कुप्रभावित हो सकती है उस पर वार्ता कर, सुझाव देकर, सदस्य राज्यों को इस समस्या से दूर करने या इसका समाधान देने का प्रयास महासभा द्वारा किया जाता है। गुडरिच के अनुसार, 'महासभा एक सार्वजनिक सभास्थल ही नहीं बल्कि इसने अपने आप को निर्णय लेने योग्य भी प्रमाणित कर दिया है। विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में भी इसने महत्वपूर्ण योग दिया है।

सन् 1946 ई. में सोवियत सेनाओं द्वारा ईरान के अजरबैजान प्रांत में अतिक्रमण एवं अंततः वहाँ से वापस लौटने में महासभा एवं सुरक्षा परिषद की चर्चा का प्रभाव था। सन् 1947 ई. में महासभा के सहयोग से यूगोस्लाविया को यूनान के विरुद्ध छापामारों को सहायता देना बंद किया गया। इसी प्रकार सीरिया-लेबनान समस्या, इण्डोनेशिया समस्या, बर्लिन घेरा, फिलिस्तीन समस्या, स्पेन, कोरिया संकट (1950), कश्मीर विवाद, स्वेज नहर संकट (1956), साइप्रस समस्या, अरब-इजरायल संघर्ष, कांगो समस्या, रोडेशिया संकट, वियतनाम संघर्ष, चेकोस्लोवाकिया संकट (1968), अफगानिस्तान संकट (1979), फाकलैंड विवाद, ईरान-इराक युद्ध विवाद, कुवैत संकट (1990), सोमालिया संकट (1991),

Scanned with CamScanner

कोसोवो संकट(1999), इराक समस्या(2002), लेबनान में संघर्ष विराम(2006), पर्यावरण संकट, निरस्त्रीकरण, आतंकवाद आदि अनेकानेक समस्याओं के आंशिक एवं पूर्ण समाधान की ओर अपने वार्ता, मध्यस्थता एवं प्रयास द्वारा सफलता प्राप्त की है। जिसमें सुरक्षा परिषद का भी महासभा के साथ व्यापक योगदान रहा है। अपने विवाद और चर्चा के द्वारा यह विवादों के समाधान में सदैव सकारात्मक एवं सक्रिय रूप से प्रयत्नशील रहा है हालांकि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस ओर महाशक्तियों का कितना सार्थक सहयोग है। वार्ता का लेखा और समस्या को टालने में भी सहायक होता है। महासभा द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों में बहुसंख्यक की अभिव्यक्ति से विश्व लोकमत का निर्माण होता जो अंततः विश्वशांति और स्थिरता के लिये सहायक सिद्ध होता है। इसकी सदस्यता में हुई निरंतर वृद्धि के पीछे इसका सफल स्वरूप रेखांकित होता है।

निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि अपने प्रयासों एवं सक्रियता से महासभा ने सं.रा.संघ की उपादेयता एवं प्रासंगिकता को बनाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है।